

Acknowledgement of Application Form

SHCIL branch Date / /

Application No.

received from Mr/Mrs/Ms.....

--

Cash / Draft / Pay Order / Cheque No. Dated / /

Cheque drawn on Bank branch for Rs. (Rupees only) for the purchase of 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 for period of 6 years, interest [] payable on cumulative [] Non-cumulative basis of the nominal value of Rs (Rupees only)

Date, Stamp & Signature of the authorized official of SHCIL

INFORMATION FOR INVESTORS IN 8% SAVINGS (TAXABLE) BONDS, 2003

Government of India had introduced 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 vide their notification No. F.4 (10)- W & M/2003 dated 21.03.2003 for the benefit of the Resident Indians. The main features of the Scheme are as under :-

Item	8% Savings (Taxable) Bonds, 2003	Remarks
1) Category of Investor	Individual University HUF Charitable Institution	Non resident Indians are not eligible to invest in these bonds
2) Limit of investment	Minimum Rs. 1000/- and in multiples of Rs. 1000/-	No maximum limit
3) Date of Issue of bonds	Date of receipt of subscription in cash or date of realisation of cheque/draft	
4) Forms of Bonds	Bond Ledger Account	
5) Option	Non-cumulative / Cumulative	Change of option is generally not permitted
6) Interest	In case of non-cumulative option, interest is payable on half yearly basis. In case of Cumulative option, interest is payable at the time of maturity	Half yearly interest is payable on 1st February/1st August
7) Post Maturity Interest	Post Maturity Interest is not available	
8) Bank account		To facilitate payment of interest at half-yearly intervals, under non-cumulative option, it is desirable for the investor to Open a bank account in the same branch .
9) Tax benefits	Income from the bonds is taxable. Wealth tax is exempted	No tax will be deducted at source while interest is paid
10) Nomination facility	Available to Sole Holders	Non-resident Indians can also be nominated. However, remittance of the interest / maturity proceeds will be subject to the Exchange Control regulations prevailing at the time of remittance.
11) Maturity period	After 6 years	
12) Premature redemption	NOT AVAILABLE	
13) Transferability	NOT TRANSFERABLE	
14) Loans from banks against the security of these Savings bonds	The bonds cannot be pledged as security for availing of loans from banks	
15) Application forms	Available at 1675 branches of SBI, Associate banks, 17 Nationalised banks, 4 Private Sector banks and Stock Holding Corporation of India Ltd.	

आवेदन फॉर्म के लिए पावती

बैंक शाखा तारीख/...../.....

श्री/श्रीमती/सुश्री से प्राप्त

आवेदन संख्या

नकद/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/चेक संख्या तारीख/...../.....
 ५ वर्षों की अवधि के लिए ६.५ % बचत बाँड, २००३ (कर मुक्त) के क्रय के लिए रु. (रुपए
 मात्र) का चेक बैंक की शाखा पर आधारित, रु. (रुपए
 मात्र) के अंकित मूल्य पर संचयी [] असंचयी [] आधार पर देय व्याज

तारीख, बैंक की मुहर और बैंक के अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

8% बचत बाँड २००३ (कर योग्य) के निवेशकों के लिए सूचना

भारतक सरकार ने निवासी भारतीयों के लाभार्थ २१ मार्च २००३ की अपनी अधिसूचना संख्या एफ ४ (१०) डब्लू एन्ड एम/२००३ के द्वारा 8% बचत बाँड २००३ (कर योग्य) प्रारंभ किया है। योजना की मुख्य निम्ननुसार है :-

मद	8% बचत बाँड २००३ (कर योग्य)	अभियुक्तियाँ
१) निवेशक की श्रेणी	व्यक्ति और हिंदू अवि. परि., विश्वविद्यालय, धर्मादाय संस्थाए	अनिवासी भारतीय इन बाँडों में निवेश के पात्र नहीं है।
२) निवेश की सीमा	न्यूनतम रु. १०००/- और रु. १०००/- के गुणकों मे	अधिकतम सीमा नहीं
३) बाँड जारी होने की तारीख	नकद अभिदान प्राप्त करने की तारीख अथवा चेक/ड्राफ्ट वसूले जाने की तारीख	
४) बाँड का स्वरूप	बाँड लेजर खाता तथा स्टॉक प्रमाणपत्र	
५) विकल्प	असंचयी/संचयी	धारिता प्रमाणपत्र जारी होने के बाद विकल्प में परिवर्तन करने की अनुमती नहीं होगी। इसमें छूट की अनुमती भारिबैं की इच्छानुसार प्रत्येक मामले के गुणदोषों को देखकर, दी जाएगी।
६) ब्याज	असंचयी विकल्प की दशा में ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। संचयी की दशा में ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा।	१ फरवरी और १ अगस्त को छमाही ब्याज जायेगा।
७) परिपक्वता पश्च ब्याज	परिपक्वता पश्च ब्याज नहीं मिलेगा	
८) बैंक खाता		असंचयी विकल्प के अंतर्गत छमाही अंतराल पर ब्याज के भुगतान की सुविधा के लिए निवेशकों से अपेक्षित है कि वे उसी शाखा में अपना एक बैंक खाता खोले।
९) कर लाभ	बाँड की आय पर कर चुकाना पड़ेगा। धनकर से भी मुक्त है	ब्याज भुगतान के समय स्रोत पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।
१०) नामांकन सुविधा	एकल धारकों को दी जाएगी।	अनिवासी भारतीयों का भी नामांकन किया जा सकता है। तथापि, ब्याज अथवा परिपक्वता राशी के विप्रेषण पर उस समय प्रचलित विदेशी मुद्रा विनियम लागू होंगे।
११) परिपक्वता अवधी	६ वर्षों के पश्चात	
१२) परिपक्वतापूर्व रिडेमशन/भुनाना	नहीं कर सकते	
१३) अंतरणीयता	अहस्थांतरणीय	
१४) इन बचत बाँडों की जामिन पर बैंको से ऋण	बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिए बाँड को जामिन के तौर पर गिरवी नहीं रखा जा सकता।	
१५) आवेदन फॉर्म	भा. स्टेंट बैंक, एसोसिएट बैंको की १६७५ शाखाओं, १७ राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय स्टॉक धारिता निगम में भी उपलब्ध है।	

INFORMATION TO INVESTORS

1. Cheque / draft towards subscription should be drawn in favour of 'SHCIL GOI 8% Savings Bond 2003' and payable at the place where the application is tendered.
2. The "Certificate of Holding" (COH) will be mailed directly to the first holder.
3. SHCIL reserves the right to refuse delivery of the certificate of holding until this receipt is returned properly discharged (signed by each applicant).
4. This receipt is valid subject to realization of the payment instrument.
5. Application in the name of Hindu Undivided Family - the karta should furnish a declaration as contained in the application form.
6. If the person other than the investors sign the application, a power of Attorney authorizing the signatory should be submitted alongwith the application. The P.O.A. should contain express clause to invest in securities and receive interest and the principal amount due under the bonds. In case of P.O.A. Is executed abroad, it should be attested by a notary public of the place where it is executed and notarized afresh in India (duly stamped).
7. In case application made in the joint names of more than 2 person, the bond/s interest warrants and payment order/s will be issued in the name of the first applicant (without mentioning the other joint holders name).
8. Maturity value of cumulative Bonds shall be Rs. 1601/- (being principal and interest) for every Rs. 1000/- (Nominal).

DUTIES OF INVESTOR APPLICANTS

- A) Please fill up the application in all respects.
- B) Incomplete applications are liable to result in delay of issue of the bonds and at the cost of the applicant.
- C) In case the application is submitted by a Power of Attorney (POA) holder, please submit original POA for verification, along with an attested copy.
- D) In case the application is on behalf of a minor, please submit the original birth certificate from the School or Municipal Authorities for verification, together with an attested copy.
- E) Please note that nomination facility is available only to Sole Holder.
- F) In case nominee is a minor, please indicate the date of birth of the minor and a guardian can be appointed.
- G) Nomination facility is not available in case the investment is on behalf of minor.
- H) Please exercise the option (CUMULATIVE / NON-CUMULATIVE) for issue of bonds carefully. Change of option is generally not permitted.
- I) Please notify the change of address immediately.
- J) POST MATURITY INTEREST IS NOT PAYABLE AFTER DATE OF MATURITY. HENCE PLEASE OBTAIN REDEMPTION PROCEEDS ON THE DUE DATE.
- K) Indicate your date of birth/age, in case you are a Senior Citizen (above 65 years of age).

RIGHTS OF THE INVESTOR

- a) The Bond will be issued on the date of realization of amount.
- b) The interest on the bond accrues from the date of subscription in cash or date of realisation of cheque. The half-yearly interest Warrants will be despatched one month in advance from the due date.
- c) The interest on the date of 1st February/ 1st August will be credited to the bank account or remitted by an interest warrant at the last registered address.
- d) An advice of payment of interest will be issued to the investor one month in advance from the due date.
- e) A sole holder may nominate one or more nominees to the rights of the bonds. Non-resident Indians can also be nominated.
- f) The nomination will be registered at the Office of Issue and a Certificate of Registration will be issued to the holder.
- g) The nomination can be varied by registering a fresh nomination.
- h) The existing nomination can be cancelled by a request to the Office of Issue.
- i) The redemption is due on the expiry of six years from the date of investment.
- j) Early redemption facility is not available.
- k) The investor is entitled to receive repayment amount within five clear working days from the date of tender of acquittance.
- l) Facility for payment of half yearly interest / redemption proceeds can be availed through ECS or direct credit to the bank account. Applicants may indicate his choice, to avoid delay in receipt of interest/ redemption proceeds.
- m) In case of any grievances, please contact us at below mentioned address :-
44/1, KALICHARAN MEHERA ESTATE, L.B.S. MARG, NEAR VIKHROLI STATION, VIKHROLI (WEST), MUMBAI - 400 079.
- n) In case SHCIL does not comply with the above, you may lodge a complaint in writing in the form provided at the counter and address the same to the nearest office of Reserve Bank of India as under :

THE REGIONAL DIRECTOR,
RESERVE BANK OF INDIA,
GRIEVANCES REDRESSAL CELL,

YOU MAY ALSO ADDRESS YOUR COMPLAINT TO :

THE CHIEF GENERAL MANAGER
RESERVE BANK OF INDIA,
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS
BYCULLA (OPP. BOMBAY CENTRAL RLY STATION)
MUMBAI 400 008, MAHARASHTRA)

निवेशक आवेदकों के दायित्व

- क) कृपया आवेदन पूर्णरूपेण भरे।
- ख) अपूर्ण आवेदनों के कारण बाँड जारी करने में विलंब होता है जिससे आवेदक को ही नुकसान होता है।
- ग) यदि पॉवर ऑफ एटॉर्नी (पीओए) धारकद्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सत्यापन के लिए कृपया पीओए की मूल प्रति और उसकी एक अनुप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करें।
- घ) यदि आवेदन किसी नाबालिग की ओर से प्रस्तुत किया जाता है तो विद्यालय अथवा नगरपालिका से प्राप्त मूल प्रमाणपत्र तथा उसकी एक अनुप्रमाणित प्रति सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।
- ङ) नोट करें कि नामांकन सुविधा केवल एकल धारकों को ही उपलब्ध है।
- च) नामांकित की नाबालिग होने पर कृपया नाबालिग की जन्मतिथि लिखें और किसी अभिभावक की नियुक्ति करें।
- छ) किसी नाबालिग की ओर से किए जा रहे निवेश के मामले में नामांकन सुविधा नहीं दी जाएगी।
- ज) कृपया बाँड जारी करने के लिए विकल्प (संचयी/असंचयी) सावधानी से भरे। धारिता प्रमाणपत्र जारी होने के बाद विकल्प में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। इसमें छूट की अनुमति भारिबै की इच्छानुसार, प्रत्येक मामले के गुणदोषों को देखकर दी जाएगी।
- झ) कृपया पते में हुए परिवर्तन की सूचना अविलंब दे।
- ञ) कृपया छमाही ब्याज/परिपक्वता राशि की प्राप्ति के लिए इसीएस विकल्प का उपयोग करें।
- ट) परिपक्वतापश्च ब्याज नहीं मिलेगा इसलिए कृपया रिडेम्पशन की राशि परिपक्वता की तारीख को ही प्राप्त करें।
- ठ) यदि आप वरिष्ठ नागरिक (६५ वर्ष से अधिक) हैं तो आप अपनी जन्म तारीख /आयु लिखें।

निवेशक के अधिकार

- क) अभिदान की राशि की वसूली होने पर बाँड उसी दिन जारी कर दिया जाएगा।
- ख) नकद अभिदान प्राप्ति की तारीख अथवा ड्राफ्ट की वसूली की तारीख से बाँड पर ब्याज दिया जाएगा। छमाही ब्याज वारंट देय तिथि से एक माह पूर्व निवेशक को जारी किया जाएगा।
- ग) पहली फरवरी / पहली अगस्त को ब्याज बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा अथवा अंतिम पंजीकृत पते पर ब्याज वारंट भेज दिया जाएगा।
- घ) ब्याज भुगतान की सूचना निवेशक को देय तारीख से एक माह अग्रिम जारी की जाएगी।
- ङ) कोई एकल धारक बाँड पर हक के लिए एक अथवा अधिक नामितियों को रख सकता है। अनिवासी भारतीयों को भी नामांकित किया जा सकता है।
- च) नामांकन का पंजीयन जारीकर्ता कार्यालय में किया जाएगा और धारक को एक निर्गम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- छ) किए गए नामांकन की जगह नया नामांकन देकर उसे बदला जा सकता है।
- ज) विद्यमान नामांकन का निरसन जारीकर्ता/निर्गमकर्ता कार्यालय को अनुरोध करके किया जा सकता है।
- झ) निवेश की तारीख से छह: वर्षों की समाप्ति पर रिडेम्पशन देय होगा।
- ञ) पूर्व रिडेम्पशन सुविधा नहीं होगी।
- ट) छमाही ब्याज/रिडेम्पशन राशि का भुगतान की सुविधा इसीएस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा खाते में सीधे ही भुगतान प्राप्त किया जा सकता है।
- ठ) एक्विटेशन (विमोचन) प्रस्तुत करने की तारीख से पूरे पाँच कार्यदिवसों के भीतर निवेशक को चुकौती की राशि प्राप्त होनी चाहिए।
- ड) यदि उपयुक्त बातों का अनुपालक बैंक न करता है तो आप काउंटर पर उपलब्ध फॉर्म में एक शिकायत लिखें और उस पर निम्नानुसार नजदीकी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय का पता लिखें।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
शिकायत निवारण कक्ष

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को भी कर सकते हैं:

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक,
केंद्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग,
भायखला (मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने),
मुंबई - ४०० ००८.
महाराष्ट्र